डॉ. नीरा यादव
माननीया मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
तथा
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री

सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

की
महत्वपूर्ण उपलब्धियों
का
प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

सरकार की दूसरी वर्षगांठ

के अवसर पर

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

की

महत्वपूर्ण उपलब्धियों

का

प्रतिवेदन

I. उच्च शिक्षा

1. नामांकन एवं पहुँच

1.1 **सकल नामांकन अनुपात** – झारखण्ड राज्य का सकल नामांकन अनुपात (GER) वर्ष 2011–12 में 8.4% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.4% था। AISHE के ताजा रिपोर्ट (2016) के अनुसार राज्य का सकल नामांकन 15.4 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 24.3% है। इस प्रकार राज्य में GER की वृद्धि 7 % हुई है जबकि राष्ट्रीय औसत में सिर्फ 3.9% की वृद्धि हुई है।

1.2 **झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना** – राज्य के युवा वर्ग को सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण में दक्ष बनाने तथा डिग्री/डिप्लोमा उपलब्ध कराने हेतु गुजरात एवं राजस्थान के पश्चात राष्ट्र के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना रिकार्ड समय में झारखण्ड में की गई। इस विश्वविद्यालय में पठन–पाठन का कार्य 2016–17 अकादमिक सत्र से आरम्भ हो गया है।

1.3 **निजी विश्वविद्यालय की स्थापना** – राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वसनीय संस्थानों एवं ट्रस्टों को मॉडल दिशा–निर्देश के आधार पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए आंमत्रित किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में अमिटी विश्वविद्यालय, प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय एवं आइसेक्ट विश्वविद्यालय को अधिनियम पारित कर स्थापित किया गया है।

1.4 **छात्राओं के लिए महाविद्यालय** – 11 चिन्हित जिले (सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूँटी, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां तथा लातेहार) जहां छात्राओं के लिए अंगीभूत अथवा संबद्ध महाविद्यालय नहीं है, वहाँ महिला महाविद्यालय वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यशील हो गया है (लातेहार को छोड़कर)। उपरोक्त चिन्हित जिले में खूँटी को छोड़कर शेष 10 जिलों में भवन निर्माण हेतु प्रति महिला महाविद्यालय रू0 9,18,31,000/– की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1.5 **मॉडल डिग्री महाविद्यालय की स्थापना** – राज्य के 12 शैक्षणिक रुप से पिछड़े जिले यथा, गढ़वा, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला खरसावां, गुमला, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका एवं साहेबगंज में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से गोड्डा एवं गिरिडीह में पठन–पाठन का कार्य आरम्भ हो जायेगा। उपरोक्त चिन्हित जिले में साहेबगंज को छोड़कर अन्य 10 जिले में मॉडल डिग्री महाविद्यालय हेतु प्रति महाविद्यालय रू0 9,91,85,000/– की योजना की स्वीकृति, भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई है।

1.6 **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में द्वितीय पाली की पढ़ाई की व्यवस्था** – उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने एवं मौजूदा आधारभूत संरचनाओं का युक्ततम व्यवहार करने हेतु द्वितीय पाली की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इस अकादमिक सत्र में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कुल 13294 विद्यार्थी नामांकित किए गये हैं जो विश्वविद्यालयवार निम्न प्रकार है –

क्र0	विश्वविद्यालय का नाम	द्वितीय पाली में नामांकित छात्रों की सं0
1	कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा	7304
2	सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	1132
3	विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	2858
4	राँची विश्वविद्यालय, राँची	1300
5	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर पलामू	700
कुल –		**13294**

2. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

2.1 **राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन कोषांग (SLQAC) का गठन** – इस कोषांग के माध्यम से राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पठन–पाठन को सुनिश्चित किया जा रहा है।

2.2 **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के द्वारा ग्रेडिंग** – राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए NAAC के द्वारा ग्रेडिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया। नवम्बर 2016 तक के रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 35 महाविद्यालयों एवं 2 विश्वविद्यालयों का NAAC के द्वारा ग्रेडिंग किया जा चुका है।

राज्य के अन्य 34 संस्थानों को LOI प्राप्त हो चुका है तथा इन संस्थानों में NAAC की टीम जनवरी 2017 में ग्रेडिंग के लिए आएगी। 37 अन्य संस्थानों द्वारा Self Study Report (SSR) को अपलोड कर दिया गया है।

2.3 **प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन** – राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रयोग के माध्यम से शिक्षण अभिरूचि में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन करने हेतु विगत दो वर्ष में कुल रू0 26.00 करोड़ की राशि विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी है।

2.4 **पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण** – राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों को अधिकाधिक आधुनिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण हेतु विगत दो वर्ष में कुल रू0 20.00 करोड़ की राशि विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी है।

2.5 **गैर पारम्परिक, किन्तु रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन**–राज्य के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे रोजगार आसानी

से उपलब्ध हो सके। राँची विश्वविद्यालय तथा कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा अगले सत्र से Fine Arts & Theatre, Nutrition & Dietetics जैसे पाठ्यक्रमों को शुरु किया जायेगा।

2.6 **कोचिंग सेन्टरों की स्थापना** – राज्य के प्रतिभाशाली किन्तु निर्धन विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में उर्तीण कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कोचिंग सेन्टर की स्थापना की गई है तथा इसके संचालन के लिए विभाग द्वारा इस मद में कुल 50.00 लाख की राशि विमुक्त की गयी है। इन कोचिंग सेन्टरों में नामांकित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है –

क्र0	विश्वविद्यालय का नाम	कोचिंग सेन्टर में नामांकित छात्रों की सं0
1	कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा	200
2	सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	38
3	विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	52
4	राँची विश्वविद्यालय, राँची	119
5	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर पलामू	54
कुल –		**463**

3. **<u>आधारभूत संरचनाओं का विकास</u>** – राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में नये भवनों का निर्माण जिसमें वर्ग कक्ष, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, परिसर की चाहरदिवारी, साईकल–मोटर साईकल स्टैंड, शौचालय आदि का निर्माण शामिल है तथा पूर्व से विद्यमान भवनों के मरम्मति / जीर्णोद्धार हेतु विगत दो वर्ष में कुल रू0 110.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है तथा इसमें से रू0 62.00 करोड़ विमुक्त कर दी गयी है।

4. **<u>अकादमिक शासन संचालन</u>**

4.1 **राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम का गठन** – इस अधिनियम के गठन के पश्चात् राज्य में सरकार, विश्वविद्यालयों, अकादमियों एवं उच्च स्तरीय नियामक संस्थाओं के बीच सामूहिक सह क्रियात्मक संबंध स्थापित करने हेतु एक शीर्ष संगठन– राज्य उच्च शिक्षा परिषद् बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

4.2 **RUSA कोषांग का गठन** – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु कोषांग का गठन कर लिया गया है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अन्तर्गत विगत दो वर्षों में 30 महाविद्यालयों के आधारभूत सरंचना के विकास, 3 विश्वविद्यालयों यथा – राँची विश्वविद्यालय, राँची;

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के आधारभूत संरचना के विकास, राँची कॉलेज राँची को विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोन्नयन तथा जमशेदपुर में 1 Professional College की स्थापना हेतु कुल 94.625 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

4.3 **राज्य में अवस्थित शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सम्बद्धता से संबंधित परिनियम का गठन** – माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुसार एवं NCTE के विनियमों के आधार पर संबद्धता से संबंधित नये परिनियम का गठन किया गया है जिससे शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सम्बद्धता में सुलभता होगी।

4.4 **विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के नियुक्ति से संबंधित नये परिनियम का गठन** – परिनियम के अभाव में राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के पदों पर विधिवत नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं हो पा रही थी एवं ऐसे पदों पर तदर्थ रुप से नियुक्ति हो रही थी। परिनियम के गठन के पश्चात् पदों को JPSC के द्वारा विज्ञापित कर दिया गया है, जिसमें निलाम्बर–पीताम्बर के 5 तथा सिदो–कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 4 पद है।

4.5 **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग में रोस्टर का संधारण** – विश्वविद्यालय के स्तर पर पहली बार शैक्षणिक संवर्ग में रोस्टर का संधारण किया गया है। इससे राज्य में निरुपित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत शैक्षणिक वर्ग में नियुक्ति हो पायेगी। विश्वविद्यालयवार रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र0	विश्वविद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या				
		Assistant Professor	Associate Professor	Professor	Principal	Total
1	कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा	274	..	..	..	274
2	सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	188	34	12	11	245
3	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	206	06	06	15	233
4	राँची विश्वविद्यालय, राँची	134	84	39	..	257
5	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर पलामू	63	42	21	04	130
कुल –		**865**	**166**	**78**	**30**	**1139**

उपरोक्त रिक्तियों के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा Assistant Professor को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

4.6 **अंगीभूत महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का व्यवहार के अनुसार संधारण करने हेतु पहल** – राज्य में पहली बार ऐसा पहल किया जा रहा है। इससे शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसे पद जो अब आवश्यक नहीं है उनके स्थान पर आज के जरुरत के अनुसार पद सृजित / हस्तांतरित करने में सुलभता होगी।

4.7 **रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को अंगीभूत महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में शुरु करने की पहल** – पदों के संधारण के साथ–साथ बाजार की मांग को देखते हुए वैसे पाठ्यक्रमों को संचालन करने हेतु जिससे रोजगार आसानी से उपलब्ध हो, के लिए योजना तैयार की जा रही है। मॉडल डिग्री महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों यथा Fine Arts & Theatre, Nutrition & Dietetics, Fashion Desigining, M.Ed etc. पर विशेष बल दिया जा रहा है।

4.8 **राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा वादों का निपटारा** – दिनांक 10.12.2016 को सम्पन्न हुई तृतीय मेगा लोक अदालत के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक सवंर्ग के 4960 व्यक्तियों के Post Litigation तथा Pre Litigation के मामले का निपटारा करते हुए कुल रू0 113.58 करोड़ की राशि वितरित की गयी।

5. <u>तकनीकी उन्नयन</u>

5.1 अंगीभूत महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में Wi-Fi की व्यवस्था – सूचना एवं संचार तकनीकी में क्रांतिकारी विकास के कारण पठन–पाठन की शैली में बदलाव आया है। उन्नयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों तकनीकी शिक्षण संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में Wi-Fi की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। प्रथम चरण में 30 तकनीकी शिक्षण संस्थानों /विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में तथा द्वितीय चरण में 54 महाविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इससे विद्यार्थी सुगमतापूर्वक पठन–पाठन की सामग्री प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों से डाउनलोड कर सकेंगे। इस व्यवस्था से चुने हुए Lecture को भी सभी महाविद्यालयों में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

6. <u>प्रशासनिक सुधार</u>

6.1 निदेशालय का सुदृढ़ीकरण – उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं एवं युवा वर्ग की उद्यमशीलता को बढ़ाने की दिशा में उच्च शिक्षा निदेशालय को सुदृढ़ करते हुए 39 नये पदों को सृजित किया गया है।

6.2 AISHE इकाई का पुनरोद्धार – विद्यार्थियों एवं शिक्षण पाठ्यक्रमों से संबंधित सूचनाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तक तय समय सीमा के अंदर सम्प्रेषण हेतु विभाग ने AISHE इकाई का पुनरोद्धार किया है। राज्य में अवस्थित सभी अंगीभूत/सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे विद्यार्थियों एवं पाठ्यक्रमों से संबंधित सूचना AISHE Portal पर उपलब्ध रखें।

II तकनीकी शिक्षा

1. तकनीकी शिक्षा विकास

1.1 झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना – राज्य के सभी Polytechnic एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों को एक पटल पर लाने हेतु झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 प्रख्यापित किया गया जिसे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 23.09.2015 को अनुमोदित किया गया। तकनीकी विश्वविद्यालय के स्थापना के पश्चात् सभी Polytechnic एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का मानकीकरण संभव होगा तथा सभी तकनीकी संस्थानों में निबंधन, पठन–पाठन, परीक्षाफल का प्रकाशन तथा दीक्षांत सामारोह में एकरुपता आएगी। यह कुल 80.98 करोड़ की योजना है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निर्माणाधीन झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

1.2 **अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्थापना** – सरकार द्वारा राज्य में दो अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से रामगढ़ महिला अभियंत्रण महाविद्यालय में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिसकी निर्माण लागत 104.37 करोड़ रूपये है। दूसरा अभियंत्रण महाविद्यालय रू0 100.72 करोड़ की लागत से कोडरमा में स्थापित होगा।

महिला अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का शिलान्यास

1.3 **Polytechnic संस्थानों की स्थापना** – सरकार द्वारा लोहरदगा, चतरा, मधुपुर (देवघर), हजारीबाग, सिमडेगा, खूँटी, दुमका, बगोदर (गिरिडीह), साहेबगंज, गोड्डा तथा जामताड़ा में Polytechnic संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सभी स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निर्माणाधीन राजकीय पोलिटेकनिक, मधुपुर (देवघर)

1.4 **PPP Mode पर Polytechnic संस्थानों का संचालन** – राज्य सरकार ने 7 नवनिर्मित Polytechnic संस्थानों को PPP Mode पर संचालित करने का निर्णय लिया है। पाकुड़, गोला, गढ़वा, चाण्डिल एवं बहरागोड़ा हेतु प्राईवेट पार्टनर का चयन कर लिया गया। अन्य संस्थान यथा, जगन्नाथपुर तथा गुमला के लिए शीघ्र ही पार्टनर का चयन कर लिया जायेगा।

नवनिर्मित राजकीय पोलिटेकनिक, गोला (रामगढ़)

वर्त्तमान शैक्षणिक सत्र 2016–17 से राजकीय पोलिटेकनिक, पाकुड़ में नामांकन के साथ पढ़ाई शुरु हो गई है, जिससे छात्रों के नामांकन हेतु 300 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

2. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

2.1 छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार – AICTE के Norms के आधार पर अभियंत्रण महाविद्यालय तथा राजकीय पोलिटेनिक संस्थानों में छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2013 (संशोधित 2015) अधिसूचित हो गई है तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना भेज दी गई है जिसकी विवरणी एवं अद्यतन स्थिति निम्नवत् है –

बी0आई0टी0, सिन्दरी :

पद	JPSC को भेजी गयी पद	पत्रांक / दिनांक	अद्यतन स्थिति
निदेशक	01	2727 / 20.11.2015	नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त है एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
प्राध्यापक	29	2708, 2709 / 10.11.2015	JPSC द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की जा चुकी है।
सह–प्राध्यापक	57	2708, 2709 / 10.11.2015	
सहायक प्राध्यापक	84	2707 / 10.11.2015	Screening Test के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया गया है एवं विज्ञापन प्रकाशन प्रतीक्षित है।

राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान :

पद	JPSC को भेजी गयी पद	पत्रांक / दिनांक	अद्यतन स्थिति
प्राचार्य	13	444 / 23.02.2016	JPSC के सभी पृच्छाओं का निराकरण किया जा चुका है एवं विज्ञापन प्रकाशन प्रतीक्षित है।
विभागाध्यक्ष	17	2795 / 27.11.2015	JPSC के सभी पृच्छाओं का निराकरण किया जा चुका है एवं विज्ञापन प्रकाशन प्रतीक्षित है।
व्याख्याता	87	2794 / 27.11.2015	विभागीय अधियाचना के आलोक में नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

2.2 **तकनीकी शिक्षण गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम** – Technical Education Quality Improvement Program (TEQIP-I) के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा द्वितीय चरण का कार्य किया जा रहा है। TEQIP-II के अन्तर्गत बिड़ला अभियंत्रिकी संस्थान मेसरा तथा कैम्ब्रिज प्रोद्यौगिकी संस्थान को पठन–पाठन में सुधार एवं स्नातक विद्यार्थियों का नियोजन, स्नातकोत्तर शिक्षण, मांग आधारित शोध और विकास तथा Centre of Excellence की स्थापना हेतु मदद दी जा रही है।

TEQIP-II के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹8.5490 करोड़ की राशि एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक ₹ 99.00 लाख की राशि विमुक्त की जा चुकी है।

2.3 **उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) एवं कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना** – तकनीकी शिक्षण संस्थानो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु राज्य में तीन उत्कृष्टता केन्द्रों (COEs) एवं 15 Technical Skill Development Institutes (t-SDIs) की स्थापना की मंजूरी दी गई है। Siemens Software (India) Pvt. Ltd. एवं Design Tech के साथ इस कार्य को मूर्त्त रुप देने हेतु एकरारनामा किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 1242.21 करोड़ की लागत के विरूद्ध राज्यांश की कुल राशि रू0 198.86 करोड़ (15% कर सहित) स्वीकृत की गयी है। प्रथम चरण में 1 COE (Centre of Excellence) एवं 5 t-SDIs (Technical Skill Development Institutes) हेतु रू0 66.286 करोड़ की राशि विमुक्त कर दी गयी है।

2.4 **तारामंडल का निर्माण** – राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्वेषण परिषद की स्थापना की गयी है। इसके राँची विज्ञान केन्द्र में ₹ 26.72 करोड़ की लागत से राज्य के पहले आधुनिक तारामंडल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, साथ ही राज्य की उप राजधानी, दुमका में राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका परिसर में भी राज्य के दूसरे आधुनिक तारामंडल का निर्माण लगभग ₹ 30.00 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

निर्माणाधीन तारामंडल, राँची

3. <u>आधारभूत संरचनाओं का पुनर्जीवन</u>

3.1 **तकनीकी शिक्षण संस्थानों का Rejuvenation** –

धनबाद स्थित बी0आई0टी0 सिन्दरी अभियंत्रण महाविद्यालय को नये रूप में विकसित करने के लिए ₹ 156.00 करोड़ की योजना से संस्थान का Rejuvenation कार्य एवं कुल 12 नये भवनों का निर्माण कार्य कराये जा रहे है।

अगले शैक्षणिक सत्र से द्वितीय पाली की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु 11 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के Rejuvenation की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा राजकीय पोलिटेकनिक खुटरी, कोडरमा, दुमका एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो में उक्त कार्य आरम्भ भी कर दिया गया है।

3.2 **महिला छात्रावास** – तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभागान्तर्गत संचालित 13 राजकीय पोलिटेकनिकों एवं सात निर्माणाधीन राजकीय पोलिटेकनिकों यथा गोला, गढ़वा, गुमला, जगन्नाथपुर, बहरागोड़ा, चांडिल, पाकुड़ में 200 शैय्या वाले महिला छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु प्रति पोलिटेकनिक ₹ 5.12 करोड़ की योजना स्वीकृत है। इस प्रकार कुल ₹ 102.4 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है।

200 BEDDED GIRL'S HOSTEL AT DUMKA

नवनिर्मित महिला छात्रावास, राजकीय पोलिटेकनिक दुमका

4. <u>अकादमिक शासन संचालन</u>

4.1 **झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा विनियम 2013 में संशोधन** – विनियम में संशोधन के पश्चात् अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेनिक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है एवं रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति के आधार पर भरने हेतु अधियाचनाएँ झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) राँची को भेज दी गयी है।

4.2 **शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु** – राजकीय तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों के सेवानिवृति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।

4.3 **वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी** – सभी सरकारी पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्यों एवं निदेशक, बी॰आई॰टी॰ सिन्दरी के वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी की गयी है।

5. **तकनीकी उन्नयन** – राज्य के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, बी0आई0टी0 सिन्दरी एवं 13 राजकीय पोलिटेकनिक में मुफ्त Wi-Fi की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आयेगी।

6. **प्रशासनिक सुधार** –

तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण – तकनीकी शिक्षा के महत्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार द्वारा इस निदेशालय के लिए 30 नये पदों का सृजन किया गया।

III झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी –

राज्य सरकार द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में कौशल विकास के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन कर अधिसूचना सं0 998 दिनांक 11.08.2016 द्वारा नये विभाग "उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग" का गठन किया गया है।

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित Common Cost Norms तथा राष्ट्रीय कौशल अर्हत्ता फ्रेमवर्क (NSQF) पर आधारित कौशल विकास योजना को launch करने वाला झारखण्ड पहला राज्य है।
2. झारखण्ड के युवाओं की रोजगारपरकता को बढ़ाने के उद्देश्य से "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" की शुरुआत की गयी है।
3. लगभग 3500 लाभुकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" का पायलट चरण लागू किया गया। इसके लिए 21 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के साथ MoU किया गया है।
   - Training coverage- 1585
   - Trainees assessed- 901
   - Trainees certified- 330
   - Trainees placed- 416
4. "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" के मुख्य चरण में प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए 39 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के साथ MoU किया गया है।

5. Recognition of Prior Learning (RPL) के तहत विनिर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों का मूल्यांकन कर औपचारिक प्रमाणीकरण (Certification) की कार्रवाई की जा रही है। यह राज्य के 7 जिलों में लागु है।

- Pre Assessment - 2250
- Training Coverage - 2098
- Direct Certification - 38
- Certification after Skill Gap Training - 705

6. राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् (NSDC) के साथ MoU

7. विभिन्न प्रक्षेत्रों के 16 Sector Skill Council (SSC) के साथ MoU

8. राज्य सरकार तथा Local/National Industry की सहभागिता से 12 स्किल डेवलपमेंट कमिटी की स्थापना।

***

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग